system. These equipments are functioning much better now than in the earlier years. Calcutta's problem is much more than these equipments. There is lot of developmental activity going on in Calcutta; Calcutta streets get soaked and our cables get damaged. As I said, we have started pressurising these underground cables. We will be able to monitor better if any cable gets demaged so that remedial action could be taken immediately.

Then, Sir, we have also the problem of power in Calcutta. There is a lot of load-shedding. As you know, the telephone equipment is a very sensitive equipment and all our telephone exchanges are airconditioned. Now, whenever there is loadshedding, these exchanges are invariably exposed to the elements. The dust comes in and the sensitive equipment tends to get damaged. This is one of the problems with which we are faced which is due to power shortage in Calcutta as a whole.

These are the problems that we normally face in that city and in course of time, we should be able to improve the situation.

SHRI SAMAR GUHA: Sir, I had the privilege to attend the Telephone Advisory Committee meetings twice and these are the straight answers that we were always given when we were present at the Committee meetings. It is not a question of mechanical fault only; there are operational faults and human faults also. We all know the functioning of the CME. Very frequently all newspapers of Calcutta are complaining about the functioning of the Calcutta telephone exchange. Would you kindly accept the suggestion for a small committee of Members of Parliament being constituted to go into details about the nature of the complaints, the cause of defects and what are the improvements that could be made so that Calcutta Telephone Exchange could really function. Actually, Calcutta Telephone Exchange does not function.

SHRI VAYALAR RAVI: May I know from the hon. Minister whether in Calcutta he has installed the old cross-bar equipment and whether it has been installed in collaboration with the ITT a multinational Corporation? I understand that your ministry has introduced the new techniques with the Indian technicians' help with some modification. Will you introduce or install those new machines in Calcutta and make them all right?

SHRI GEORGE FERNANDES: Just now we are concerned with expansion programme in Calcutta where we are installing about 40,000 telephone lines. Of these, 20,000 are on the new cross-bar system—Japanese Cross Bar system—which will be installed in Tiretta Bazaar while the remaining 20,000 lines on the improved cross-bar system.

श्रीमती चन्द्रावती : कितने ही लोगों के जो गलत नम्बर मिलते हैं, ये क्रास-बार की वजह से मिलते हैं या नान-एफीशियैंट लोग जो टेलीफोन बालों में बैठे हैं, उनकी वजह से मिलते हैं ।

श्री जार्ज फर्नांडिस : इसमें अध्यक्ष महोदय कई समस्यायें हैं। कहीं मशीनों की भी समस्या है और कहीं आदमियों की भी समस्या है । इसको सुधारने का प्रयास चल रहा है ।

Measures to benefit Families of Victims of Forced Sterilization

+

*67. SHRI K. A. RAJAN:
CHAUDHARY HARI RAM MAKKASAR:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state the measures Government propose to adopt for the benefit of the families of those who died of forced sterilisation during the Emergency?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : यदि नसबन्दी आपरेशन कराने वाले व्यक्ति की आपरेशन के कारण

मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवित पति/पत्नी को अथवा यदि उसका पति/पत्नी जीवित न हो तो उसके जायज उत्तराधिकारी को 5,000 रुपये अनुग्रहपूर्वक सहायता दिये जाने का प्राविधान है। इस बारे में राज्य सरकारों आदि को अतिशीघ्र सहायता देने के आदेश दिये गये हैं।

SHRI K. A. RAJAN: Mr. Speaker, Sir, the Minister has stated that he has issued instructions for compensation payment. So far so good. I would like to know from him the statewise break-up of those cases if he could just give us. This flat compensation will not be relevant in those cases because the dependents of the families of the victims may differ from individual to individaul. So, instead of a flat compensation if you are thinking in terms of compensation which has some relevance with the dependents of the families that would be better. I want to know whether any action had been taken against those people who had been found guilty.

MR. SPEAKER: That is a separate question. Now, the first question will be answered.

श्री राज नारायण : हमने एक यूनीफार्म पालिसी बनाई है कि नसबन्दी के कारण जिसकी मृत्यु हुई हो, उसके वारिस को 5 हजार रुपये सरकार दे। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के डिस्पोजल पर काफी रुपया दे दिया है, और राज्य सरकारों ने जिलाधीशों के पास रुपया रखवा दिया है। जिलाधीशों को जितने रुपये की आवश्यकता होती है वह राज्य सरकार से ले लेते हैं। किसी राज्य सरकार ने, किसी अवसर पर भी हमसे यह शिकायत नहीं की है कि उनके पास रुपये की कमी है। केन्द्रीय सरकार बराबर कहती जाती है कि जब भी इस काम के लिये जितने पैसे की जरूरत हो, हम देने के लिए तैयार हैं। अगर नसबन्दी के कारण किसी की मृत्यु हुई है, तो हम उसके वारिस को उदारता के साथ पांच हजार रुपया देने के लिए बराबर तत्पर रहते हैं।

SHRI K. A. RAJAN: I yould like to know what measures are proposed to be taken by the government against those who are guilty of this action?

श्री राज नारायण : हमने स्वास्थ्य मंत्रालय में एक जांच सैल बना दिया है। लोग वहां आकर शिकायतें कर रहे हैं। उस सैल में इस बारे में अपराधियों के सम्बन्ध में तथ्य इकट्ठे किये जा रहे हैं, और सारे आंकड़े भी जुटाये जा रहे हैं। लेकिन अभी तक हमारे पास पूरे आंकड़े नहीं आये हैं। इमर्जेंसी के दौरान जो ज्यादतियां हुई हैं, केन्द्रीय स्तर पर उनकी जांच के लिए एक आयोग बनाया गया है। ये सब तथ्य और आंकड़े उसके पास भी जायेंगे।

श्री कर्पूरी ठाकुर : क्या राज्य सरकारों से प्रतिवेदन मंगा कर यह देखा गया है कि जिन के घर के लोग नसबन्दी के कारण मर गये, ऐसे कितने लोगों को यह पांच हजार रुपये का अनुदान दिया जा चुका है ?

श्री राज नारायण : यह एक उचित प्रश्न है। राज्य सरकारों को एक बार नहीं, अनेक बार केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से लिखा गया। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकारों ने अभी तक हमारे पास कोई पूरी रपट नहीं भेजी है। वे बराबर टालते जा रहे हैं। वे किस लिये टालते हैं, यह मुझे मालूम नहीं है। यह भी कारण हो सकता है कि कई राज्य सरकारें अपनी अस्थिरता के कारण यह कार्य नहीं करना चाहती हैं। बार-बार हम लिखते हैं कि आपके राज्य में नसबन्दी के कारण कितने लोग मरे, आपने हमारे रुपये का कहां तक भुगतान किया है, आपको कितना रुपया चाहिए, या नहीं चाहिए, लेकिन राज्य सरकारों की ओर से कोई रपट नहीं आई है।

श्री कर्पूरी ठाकुर : मैं व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूं कि ऐसे कई लोगों के बारे में राज्य सरकारों को सूचना दी गई है, जो नसबन्दी के कारण मर गये हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उसके बाद मैंने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकारों को आदेश दिये गये हैं। लेकिन राज्य सरकारों की ओर से आज तक एक भी व्यक्ति को अनुदान नहीं दिया गया है। बिहार के बारे में मैं जानता हूं, मगर सारे देश की यही स्थिति है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : नसबन्दी से मृत्यु होने की संभावना नहीं होती है। लेकिन मंत्री महोदय बार-बार लोगों को उकसाने की बातें कर रहे हैं। क्या इसका परिणाम यह नहीं होगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी और मर्ज से मरा है, लेकिन उसकी नसबन्दी हुई है, तो उसके बारे में यह रिपोर्ट दी जा सकती है कि वह नसबन्दी के कारण मरा है और उसके लिए गवर्नमेंट से पैसा ले लिया जाए ? मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसी बातों को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है।

श्री राज नारायण : माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत ही उचित है। इट इज ए पब्लिक क्वेश्चन एंड इट मस्ट बी डिबेटिड पब्लिकली। हम लोग कोई बात छिपाना नहीं चाहते हैं। यह हमारी आदत नहीं है। जनहित में हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। श्री कर्पूरी ठाकुर ने जो कुछ कहा है, माननीय सदस्य उस को अपने प्रश्न से मिला लें। जब मैं कहीं बाहर जाता हूं, तो वहां के कलेक्टर पब्लिक मीटिंग में रहते हैं : कुछ लोग खड़े हो कर कहते हैं कि हमारे घर का आदमी नसबन्दी के कारण मर गया। उन लोगों को प्रूव करना पड़ता है कि सचमुच वह व्यक्ति नसबन्दी के कारण ही मरा हैं। इसकी पुष्टि के लिए उनको डाक्टर का सर्टिफिकेट देना पड़ता है। कुछ लोगों को बुद्धिभेद होता है, कुछ लोगों को बुद्धि-विभ्रम होता है और कुछ लोग बुद्धि विभ्रांतता के रोग से ग्रस्त होते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि बुद्धि-विभ्रांतता से ग्रस्त न हों। डाक्टर का सर्टिफिकेट पाने पर ही जिलाधीश उनको रुपये देगा और इसी में दिक्कत और देर हो रही है। मगर बार बार हमारा मंत्रालय इस बात पर जोर दे रहा है कि उदारता के साथ उनको पांच हजार रुपया जरूर दिया जाना चाहिए।

. . . . (व्यवधान) . . . .

MR. SPEAKER: I am on my legs. Will you kindly sit down? My point is this. Those who have already put supplementary questions are again getting up. I will give chance only to those who have not put any question at all. I am not going to allow those who have already asked a supplementary question.

श्री राम कंवर बेरवा : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जबरन नसबन्दी के कारण मरने वालों को तो सहायता के लिए पांच हजार रुपए आप दे रहे हैं लेकिन लोक सभा और विधान सभा के चुनावों में कितने ऐसे नसबन्दी के बीमारों को हमने देखा जो मरण शैया पर पड़े हैं और उनका कोई इलाज नहीं हो रहा है। मैं राज्य-सरकार को लिखता हूं तो वे लोग यह बताने की कोशिश करते हैं कि वह नसबन्दी का बीमार ही नहीं हैं जब कि बिलकुल जहां उसकी नसबन्दी की गई है वहां पेशाब वगैरह बन्द हो रहा है और वह बिलकुल मरणशैया पर पड़ा है। ऐसा एक केस गंगाराम रैगर, ग्राम पहाड़िया जिला जयपुर का है, वह बहुत ही बुरी और दर्दनाक हालत में पड़ा है। तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो एक दो या चार दिन बाद

मरने वाले हैं उनके इलाज वगैरह के लिए भी वे क्या कुछ कर रहे हैं ।

श्री राज नारायण : श्रीमन् बहुत ही स्पष्ट आदेश यहां से दिये गए हैं । माननीय सदस्य अगर चाहेंगे तो मैं इनकी सेवा में एक एक आदेश भिजवा दूंगा या अगर कहें तो सदन के पटल पर रख दूंगा जो अब तक राज्य सरकारों को भेजे गये हैं । उसमें यह कहा गया है कि यदि नसबन्दी के कारण किसी को नया रोग डेवलप कर गया है तो उसका भी सरकार मुफ्त इलाज करे और नसबन्दी खराब हो गई है तो उसका भी मुफ्त इलाज करे नसबन्दी ऐसे किसी की हो गई है जिसके कोई बच्चा न हो या जिसकी शादी न हुई हो अगर वह चाहे तो उसकी नसबन्दी को खुलवा देने के लिए भी सरकार अपनी ओर से व्यवस्था करे ।

आगे और कम्प्लीमेंट्री न हो उसके लिए भी मैं बता दूं कि नसबन्दी रोकने के लिए कहीं कहीं पर डिमांस्ट्रेशन हुए हैं जिसमें पुलिस फायरिंग हुई है जैसे पिपली में और जब मैं हिसार जेल में था, उस समय सैनी, मोहल्ला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में और सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में सैकड़ों लोग मरे हैं । तो उन लोगों के लिए भी कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाये यह आदेश केन्द्रीय सरकार ने किया है । जो लोग पुलिस फायरिंग में इस प्रकार मरे हैं उनको भी कुछ आर्थिक सहायता दी जाएगी, लेकिन किस रूप में और कैसे दी जायेंगी यह अभी तय करना है ।

. . . . (व्यवधान) . . . .

MR. SPEAKER: Now, the whole house wants to put questions on 'nus bandi'. I will call all of you one by one.

SHRI K. LAKKAPPA: After Rajnarainji took over the Health Ministry he was very generous in announcing ex-gratia payment to victims of sterilization campaign; I welcome that. Is it a fact that the Finance Ministry has declined to respond to his announcement and if so what are the reasons? Is not the Finance Ministry going to stand by the announcement made by the hon. Minister?

श्री राज नारायण : लकप्पा जी मेरे मित्र हैं, लकप्पा जी को इतना समझना चाहिए कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के पास इतना फंड है और अपने फंड से हम रुपया दे रहे हैं जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री का कोई दखल नहीं है ।

श्री राम नरेश कुशवाहा : अभी मंत्री जी ने बताया कि नसबन्दी से मरने का प्रमाण-पत्र पाने पर रुपया दिया जाएगा । जो मर गया, जिसकी अन्त्येष्टि हो गई उसके लिए कैसे साबित किया जाएगा कि वह नसबन्दी से मरा या नहीं ? यह प्रमाण-पत्र तो मिल सकता है कि उसकी नसबन्दी हुई थी लेकिन नसबन्दी के कारण उस की मौत हुई यह कैसे सिद्ध होगा ? मरने के बाद अन्त्येष्टि हो गई और उसका पोस्ट-मार्टम भी नहीं हुआ तो यह कैसे साबित होगा ?

श्री राज नारायण : रामनरेश जी ने बहुत ही उचित प्रश्न उठाया है । यह कठिनाई समय समय पर, जिस जिले में हम गए वहां पब्लिक की ओर से हमारे सामने आई है कि जब मर गया तो कैसे साबित किया जाये लेकिन कोई मरा है तो वह किसी परिवार का सदस्य होगा, उसकी देखभाल करने वाले कोई होंगे, उसकी नसबन्दी हुई होगी और इसीलिए हमने उसमें साफ लिखा है कि अगर नसबन्दी के दस दिन के अन्दर कोई मर गया है तब तो उसके लिए कोई सबूत देने की जरूरत ही नहीं है, स्वयं ही मान लिया जाएगा कि नसबन्दी से वह मरा है । इसके अलावा अगर ज्यादा पीरियड हो गया है, तीन

महीने, चार महीने या छः महीने हो गए हैं तब भी उसमें देखते हैं कि क्या डाक्टर ने कोई इलाज किया, क्या नसबन्दी के कारण भी कोई रोग डेवलप हुआ, फिर गांव में कोई वैद्य होगा, सभापति होगा, कोई तो लिखेगा कि नसबन्दी के कारण रोग डेवलप हुआ। देश में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर आयुर्वेद का वैद्य न हो और इसीलए हमने भारतीय चिकित्सा पद्धति को विकसित करने के लिए योजना बनाई है।

श्री रामनरेश कुशवाहा : अध्यक्ष महोदय, एक दूसरी बात यह है कि जिनकी नसबन्दी हुई है उन में से कितने ऐसे लोग हैं जो अस्पतालों में दवा कराने जाते हैं। पता नहीं किन किन लोगों के सर्टिफिकेट आप मानेंगे, वहां तो कोई सबूत होगा नहीं। यह नसबन्दी तो गरीबों की हुई है, पकड़ पकड़ कर हुई है और यह कभी दवा कराने नहीं जाते हैं।

श्री राजनारायण : माननीय रामनरेश जी ने बहुत ही उचित प्रश्न किया है लेकिन अगर वे समझते है कि 150 साल का अंग्रेजी राज और 30 साल का कांग्रेसी राज—यह 180 साल का कोढ़ जनता सरकार दो महीने में मिटा दे तो यह सम्भव नहीं हैं, नामुमकिन है और यह मिट नहीं सकता है। मैं इस बात को कतई मानता हूं कि नसबन्दी ज्यादातर गरीबों की हुई है। जो पैसे वाले थे उनके पास पुलिस नहीं गई, वह हरिजनों और बैकवर्ड लोगों के पास गई और उनको जबर्दस्ती उठा उठा कर ट्रकों में भर दिया। मैं हिसार जेल में था, हरियाणा में यह प्रथा थी कि ज्यों ही स्टेशन पर ट्रेन रुकी, मुसाफिरों को पुलिस के ट्रक में लाद कर ले गए और कैम्प में नसबन्दी कर दी। उनका कहना सही है कि बेचारे कहां जायेंगे, कैसे सर्टिफिकेट लायेंगे, यह कठिनाई है लेकिन मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि 180 साल का जो कोढ़ है वह दो महीने में कैसे मिटे, जरा इस बात को भी सोचें। हम भी परेशान हैं। हम भी परेशान हैं क्या करें कैसे करें?

श्री श्याम सुन्दर दास : मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन कुंवारे लड़कों का वन्ध्याकरण किया गया है, उसको आप खुलवा तो देंगे, लेकिन कोई भी आदमी अपनी लड़की की शादी उनके साथ करने को तैयार नहीं होगा। उन कुंवारे लड़कों की शादी के सम्बन्ध में आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं?

श्री राज नरायण : यह परिवार कल्याण से सम्बन्धित प्रश्न है, इसलिये इसका समुचित उत्तर दिया जाना चाहिये। ऐसे कुंवारे लड़कों की शादी कैसे हो—यह व्यापक प्रश्न है। क्यों न मंत्री लोग प्रतिज्ञा करें, अगर उनके घर में विवाह योग्य लड़की है और वे ब्राह्मण हैं तो किसी चमार के लड़के के साथ उसकी शादी करें। ऐसा हो सकता है, भारतीय पद्धति में यह बात मानी गई है कि एक ब्राह्मण, अन्य तीनों वर्णों की लड़की ले सकता है, क्षत्रीय, वैश्य, शूद्र की लड़की ले सकता है, लेकिन शूद्र नहीं ले सकता है। इसीलिये मैं सदस्यों को यह सुझाव देना चाहता हूं।

श्री एस० आर० दामाणी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं—क्या वे नसबन्दी के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं? क्या वे ऐसा समझते हैं कि नसबन्दी से मृत्यु हो सकती है?

श्री राजनारायण : सरकार ने अपने घोषणा-पत्र में इस बात को बिलकुल स्पष्ट कर दिया है कि अनिवार्य नसबन्दी कतई नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। अनिवार्य नसबन्दी के हम घोर विरोधी हैं। इसीलिये हमने अनिवार्य नसबन्दी को बन्द कर दिया है

और अपने मंत्रालय का नाम "परिवार नियोजन" को बदल कर "परिवार कल्याण" कर दिया है, क्योंकि "परिवार नियोजन" शब्द मानव रक्त से सना हुआ था। हमने यह भी सोचा कि इस शब्द से कहीं जनता के मन में अविश्वास पैदा न हो कि हम लोग भी कहीं पुराने रास्ते पर न चले जायें, इसीलिये इस शब्द को बदल दिया। अनिवार्य नसबन्दी हरगिज नहीं होगी, हरगिज नहीं होगी, हरगिज नहीं होगी। जहां तक मृत्यु का सम्बन्ध है, इससे मृत्यु हो सकती है, ऐसी कुछ मृत्यु हुई हैं।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : किसी षडयंत्र या साजिश के तहत राज्य सरकार के उच्च-अधिकारियों के आदेश से ऐसा किया जा रहा है कि जो लोग मरे हैं, उन को प्रमाण-पत्र नहीं दिये जा रहे हैं। ऐसा षडयन्त्र पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर अधिकारियों ने किया है, खास तौर से मीनापुर, उन्नाव और फैजाबाद में कुछ इस तरह की शिकायतें आई हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं क्या उन अधिकारियों के विरुद्ध आप कोई कार्यवाही करना चाहते हैं या आगे करेंगे—इसकी पूरी जानकारी देने की कृपा कीजिये।

श्री राज नारायण : कमाण्डर अर्जुन सिंह भदौरिया इस सदन के लिये नये नहीं हैं। आप भी, अध्यक्ष महोदय, उनको अच्छी तरह से जानते हैं। भदौरिया जी जो बात कह रहे हैं वह सही है। कुछ राज्यों में ऐसे अफसरान हैं जो मैला कुचैला कपड़ा पहन कर उससे मिलने जाने वालों से घृणा करते हैं। अगर कोई आदमी उनके पास जाता है, वे दूर से देख लेते हैं—चाहे वह गन्दे-से-गन्दा भ्रष्टाचारी हो, लेकिन सूट पहने है या बढ़िया कपड़े पहने है तो उसका आदर करेंगे लेकिन कोई गरीब है, कुर्ता-धोती में उनसे मिलता है कितना ही वह ईमानदार हो, उसका वे सम्मान नहीं करते हैं। इस तरह की बहुत सी शिकायतें हमें मिली हैं, जबानी भी मिली हैं और लिखित रूप में भी और व्यक्तिगत ढंग से हमारे पास शिकायतें आई हैं कि जिलाधीश हम लोगों की दरख्वास्तों पर ध्यान नहीं देते हैं। हमने राज्यालों को इस बारे में कहा तो वे कहते हैं कि अब चुनाव हो रहे हैं और नई सरकारों 9 राज्यों में बनने जा रही हैं और कम से कम कमाण्डर भदौरिया साहब के राज्य में तो नई सरकार बन रही हैं। आप उन नई सरकारों के सामने उन बातों को ले जाइए। अब किस कल्क्टर को हटाना है और किसको कहां भेजना है, ये सब बातें हैं जोकि देखनी हैं।

MR. SPEAKER: The question hour is over now. But I see a large number of people who want to ask questions on this subject. This is a very important matter. The subject of health is very important and if you want we can have half-an-hour discussion later on. I see a large number of them wanting to ask for some information. I am sorry to say that only two questions on health have taken 45 minutes. Anyway, I would look into it about allotment of time. When the discussion on the Health Ministry comes. I will see that some time is given and most of you have a chance to speak.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Problem of Steel Production and Consumption

*61. SHRI S. G. MURUGAIYAN: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether some working groups have been engaged in studying the problems of steel production and consumption; and

(b) if so, the facts thereof and by when these groups are expected to submit their recommendations?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) Yes, Sir.